राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 2182/2013/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन–तृतीय, जयपुर अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स अंजली ट्यूबवेल कम्पनी
गोपालबाडी,जयपुर प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित
श्री आर.के. अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थी की ओर सेओर से कोई भी उपस्थत नही है।

निर्णय दिनांक 17/7/17

निर्णय

यह अपील वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, जोन– तृतीय, जयपुर(जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से उपायुक्त(अपील्स)द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 105/अपील्स–द्वितीय/आरवीएटी/जयपुर/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 09.05.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है,जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 50,000/– को अपास्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य संक्षेप इस इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि वर्ष 2009–10 की चारों तिमाही के बिक्री विवरण पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू. 50,000/– आरोपित की है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने आरोपित शास्ति रू. 50,000/– को अपास्त करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.05.2013 पारित किया है। अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त अपास्त किये जाने से क्षुब्ध होकर विभाग की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 09.05.2013 विधि के विरूद्ध व प्रकरण के तथ्यों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तिमाही रिटर्न विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपणीय है, जिसके अनुसार ही कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा

58 के अन्तर्गत शास्ति रू. 50,000/– का आरोपण किया है, जो पूर्णतः विधिक है । उनका यह भी कथन है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बिना किसी उचित कारण के 12, 402, 310 एवं 220 दिनों की देरी से बिक्री विवरण प्रस्तुत किये है,जिसको उसने स्वीकार भी किया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है, जो पूर्णतः उचित है। उनका कथन है कि अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को इस आधार पर अपास्त किया है कि शास्ति आरोपित करने से पूर्व प्रत्यर्थी व्यवहारी को नोटिस जारी नहीं किया गया है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश को इस बिन्दु पर अपास्त कर विभाग की अपील स्वीकार कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना के अपील सुनवाई की दिनांक को ना तो उपस्थित हुआ है और ना कोई स्थगन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है इसलिए विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार करने के पश्चात एकपक्षीय निर्णय पारित किया जा रहा है।

विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 2009–10 के तृतीय तिमाही का रिटर्न 21 दिवस की देरी से प्रस्तुत किया गया है, जिसके कर निर्धारण अधिकारी ने प्रथम 15 दिवस के लिए रू. 100/–प्रतिदिन एवं इसके पश्चात शेष 6 दिन के विलम्ब के 500/–रू. प्रतिदिन के हिसाब से धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति रू.4500/–एवं इस शास्ति को देरी से जमा कराने के कारण ब्याज रू. 22,705/–कुल रू. 27,205/–की मांग सृजित की है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.16(375)टैक्स/वैट/सीसीटी 06–899 /दिनांक 15.09.2011 के द्वारा वर्ष 2009–10 की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करने की अवधि 30.09.2011 तक बढायी गयी और इस अधिसूचना के अनुसरण में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा परिपत्र दिनांक 16.05.2011 जारी कर अवधि बढायी गयी है। रेकार्ड के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बढायी गयी अवधि के पूर्व ही प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा तिमाही रिटर्न प्रस्तत कर दिये गये है, जिसके आधार पर अपीलीय अधिकारी ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया है, जिसमें कोई त्रुटि नजर नहीं आती है। फलस्वरूप अपीलाधीन आदेश की पुष्टि की जाकर विभाग की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया ।

(श्री मदन लाल मालवीय)
सदस्य